श्री ब्जलास वर्मा]

ट्रक डायर्षिण) टेलीफोन सेवा दिन में कुछ समय के लिये उपलब्ध है। सितम्बर 1977 के श्रत तक समूचे ब्रिटेन के लिये यह सेवा चौबीसो घटे मिलने लगेगी। श्राशा है कि मार्च 1978 तक ऐंसी सेवा सयुक्त राज्य श्रमरीका के न्यूयार्क श्रीर वाशिगटन नगरो के लिये भी चाल् हो जायेगी।

मेरे मलालय के झझीन जो दूर सचार उपस्कर का निर्माण करने वाली युनिटे झर्चात इंडियन टेलीफोन इडस्ट्रीज, हिन्दुस्तान टेलीप्रिटस लिमिटेड झौर डाक तार कार-खाने हैं, उन की वर्तमाम उत्पादन समताझो का मैं इस द्ष्टि से पुनरीक्षण कर रहा ह कि उन की उत्पादन समता इतनी बढ़ जाये कि वे देश की सभी झावश्यकताये पूरी कर सके। मेरा यह प्रयत्न होगा कि झयले तीन चार वर्षों मे दूरसचार के उच्च कोटि के साज सामानो के उत्पादन मे देश झाल्मनिर्मर हो जाये।

जब से मैंने सचार मती का कार्यभार समाला हु, विभाग के मिन्नकारियों कर्मचारियों भीर उन के सभी के प्रतिनिधियों के साथ मेरा चिन्छ्ट सम्पक्त होता रहा है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे मिन्नक कुशल, विश्वसनीय भीर उञ्चकोटि की सेवा प्रदान करने में भपना पूर्ण समर्थन देगे। विभाग के सभी कर्मचारियों के ऐसे बढ़े हुए उत्साह भीर उन के पूर्ण सहयोग को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य मे हम सभी तरह से बहुतर सेवा प्रदान करने मे सफल होगे।

12 55 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY
MINISTER

स्वास्थ्य तथा परिवार कस्याज मंत्री (भी राख नारायरा) : प्रादरणीय घष्ट्यक महोदय, दिनाक ४ धगस्त, 1977 को स्रोक समा में किया प्रस्ताव पर बोकते समय की उमीकृष्यन ने गृह मंत्री एव मेरे विषक्ष व्यक्तिगत, अनगैन एव प्रसत्य धारोप सगाए थे उस विषय में में स्थिति स्पष्ट करना बाहुगा ।

डा॰ जे॰ पी॰ सिंह जो चौधरी साहब के दामाद है विलिग्डन अस्पताल मे सर्जन है उन्होने 24 मार्च, 1972 को श्री कटेश्वरनाथ के पेट का झापरेशन किया झौर उस झापरेशन के दौरान एक बैवकाक फोसँप उनके झमाशय म रह गया जो 28 मार्च, 1972 को निकाल दिया गया । इस घटना के तुरन्त बाद 4 मप्रैल, 1972 को डा॰ एल॰ मार॰ पाठक जो उस समय विलिग्डन ध्रपस्ताल में सर्जरी विभाग के प्रधान थे और डा० डी० बी० बिष्ट जो उस समय प्रस्पताल के चिकित्सा ग्रधीक्षक थे, दोनों ने इस घटना के लिए डा० जे० पी० सिंह को बिल्कुल दोषी नही पाया । बाद में इस घटना के सबध में लिए गये बयानो के आधार पर तत्कालीन महा-निदेशक ने निम्नलिखित टिप्पणी की .

"Staff Nurse, Kunju Kutty, who relieved staff nurse, B Abraham, during the ourse of operation on Shri Kateshwar Naih at 1 35 pm. has in her statement admitted that the surgeon at the time the operation ended had asked routinely if every count we' OK and that she answered "Yes".

Staff Nurse Kutty is accordingly responsible for having missed to count the number of instrument which were available with her after the operation has ended

I consider that the responsibility for the mishap is of the nurses who assisted the surgeon in the operation."

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि डा॰ जे॰ पी॰ सिंह की इस झसावधानी के लिए कोई जिम्मेदारी इन अधिकारियों ने अपनी पहली जांच में नहीं रखीं । पत्नावली को देखने से झात होता है कि इस मामले की जांच के दौरान डा॰ एस॰ सी॰ भाटिया, जूनिकर मेडिकल झोफिसर, विलिखन झस्पताल, कुंजी Personal

45

कूटी, स्टाफ नर्स, भ्रापरेशन विवेटर, ए० मबाहम, सिस्टर इंचार्ज, भापरेशन विवेटर. बी॰ मबाहम, स्टाफ नर्स, मापरेशन वियेटर एंब डा० जे० पी० सिंह, सीनियर सर्जन. विलिंगडन हस्पताल के बयान लिए गये। बिक कुमारी कुंजी कूटी स्टाफ नसं, भापरेशन बियेटर, ने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर विया था इस झाधार पर एवं मन्य साक्यो के आधार पर तत्कालीन महानिदेशक ने उन नसीं को इस घटना के लिए जिम्मेदार पाया जो धापरेणन चियेटर से सर्जन की मदद कर रही थी। फाइल को देखने से यह पता चलता है कि बाद मे बिना किसी भविरिक्त साक्ष्य के महानिदेशक का यह मत हो गया कि डा० जे० पी० सिह, जिन्होने भापरेशन किया था. उनकी जिम्मेदारी भी नसों के साथ साथ होती है। यह बात ध्यान रखने की है कि इस घटना के लगभग 4 वर्ष के बाद, धापात-स्थित के दौरान. जबिक राजनैतिक कार्यकर्ताम्रो एव उनके सम्बंधियों को किसी भी सच्चे या झठे द्यारोप पर नुकसान पहचाने का सिलिसला चला, तब इस मामले को भी फिर से जोर शोर से उठावा गया भीर डा० जे० पी० सिंह को. जिनको किसी भी ग्रधिकारो ने घटना की तरन्त जाच के बाद दोषी नही पाया था. 4 वर्ष बाद एकाएक भारोप पक्ष दिया गया भीर उसके बाद उनके खिलाफ बहुत ही तेजी से कार्यवाही शरू हो गई।

डा० जे० पी० सिंह ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोणे के विषय में एक बहुत विस्तृत प्रत्यावेदन विया और उनके प्रत्यावेदन की छानबीन के बाद उस समय भी, जबिक कर्मवारियो पर आपात-स्थिति का आतंक छाया हुआ था, कार्यालय ने अपने नोट विनाक 14-7-76 में डा० जे० पी० सिंह को वोधमुक्त करने का सुझाब विया । 17-7-76 को उप सचिव ने भी यह राय वी कि इस मामने को समाप्त कर बेना चाहिए । 19-7-76 को संयुक्त सचिव ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि वह संविन्ध है कि डा॰ जे॰ पी॰ सिंह को ही इस मामसे के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है प्रत: उन्होंने हा अ जे पी सह को केवल मौक्कि चेतावनी देने के लिए सुझाव दिया। 21-7-76 को तत्कालीन सचिव ने महानिदेशक की भी राय जाननी चाही। 3-8-76 को डा॰ गोयल महानिदेशक से जो एक विख्यात सर्जन है सयुक्त सचिव की राय का समर्थन किया उसके दूसरे दिन, प्रकार 4-8-76 का, तत्कालीन सचिव ने महानिदेशक एव समुख्त सचिव की राय का समर्थन किया और यह लिखा कि बेताबनी डा० सिंह की चरित्र पंजिका में न लगाई जाये। किन्तु इसके दूसरे दिन ही तत्कासीन स्वास्थ्य मन्नी डा० कर्ण सिंह ने अपनी सभी सर्वावत विभागीय प्रविकारियो की राय को न मानते हुए डा॰ जे॰ पी॰ सिंह की चरित्र पिका मे बेलावनी लिखने का प्रादेश पारिस कर दिया ।

13.00 hrs.

डा० सिंह ने उक्त झार्दश के बिर्द्ध एक अपील जनता सरकार के बनने के पहले ही कर दी थी। ३स भ्रपील पर उप-सचिव ने यह मत भ्यक्त किया कि डा॰ सिह की चरित्र पंजिका मे जो चेतावनी रखी गई है, विभाग को उसे हटा देनी चाहिए। इस राय से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी सहमत थे। इन लोगो की राय को देखते हए और पिछसे सुझावों के सदर्भ में सचिव ने भी यह सिफारिश की कि यह चैतावनी इनकी चरित्र पंजिका मे न रखी जाये। उन्होने यह भी लिखा कि डा० जे० पी० सिंह एक कुशल सम्रिकारी है भीर जो गल्ती हुई वह उनकी नर्सिग स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई। इन उपर्यक्त कार्यालय टिप्पणी के ब्राधार पर मैंने निम्नलिखित द्वावेश हिया ----

"मैं सचिव की राय से सहमत हूँ, नेतावनी चरित पजिका में न रखी जाये" .Hersenni

इस समय तक मुझे पता भी नही वा कि श्री जे॰ पी॰ सिंह बरण सिंह के रिक्रतेबार हैं, मतो जे०पी० ने और न बी० बरम लिंह जी ने मुझ से इस बारे में कुछ कहा या ।

उपर्युक्त विरण से यह स्पष्ट है कि हा० जे० पी० सिंह के विरुद्ध राजनैतिक एवं व्यक्तिगत द्वेषयुक्त कारणो से पन्याय किया गया जिसका परिमार्जन करना मेरे विभागका भीर मेराकर्सक्य या । श्री उन्नीकृष्णन का इस प्रकार का इनसिनएशन कि चौधरी साहब के कहने से मैंने यह कार्यः बाही की, सर्वथा झसत्य है । इस विषय से भौधरी साहब ने मुझ से कभी किसी प्रकार की कोई बातबीत नहीं की बल्कि सत्य तो यह है कि एक सुबोग्य सर्जन के प्रति जो धन्याय हुआ था मैंने अपने विभाग के सभी षाधिकारियों की राय एवं स्वयं भी उसका निराकरण किया । श्रीमन्, श्री उन्नीकृष्णन के भाषण को पढ़ने से यह बात साफ हो जाती है कि उन्होंने तथ्यों का पूरा पता लगाये विना केवल अफवाहों के भाषार पर मेरे विरुद्ध एवं चौधरी साहब के विषद्ध मनगंत, मसत्य श्रामक एवं निराधार बारोप समाये।

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara) : rose-

MR. SPEAKER: I am not allowing any debate.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : I must be allowed to make a statement.

MR. SPEAKER . No. nothing of the Sort.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: He has referred to me.

MR. SPEAKER: I am not allowing Shri Unnikrishnan or anybody to speak now and nothing will go on record.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN *

SHRI YAYALAR RAYI (Cherayin-kid): On a point of order.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: On a point of order.

MR. SPRAKER: The point of order will go on rec rd.

SHRI K. P. UNNIRKRISHNAN: Under rule 357 a member may with the permission of the Speaker make a personal explanation alth 1gh there is no question before the House but no debatable matter may be brought forward and no debate would arise. My contention is that according to the rules he has to submit an idvance c py; I have a grievance also that if that is not translated, I cannot f li w what he said about me or about other members of the H use What he said is basically debat ble matter

MR. SPEAKER . No.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN That is my contents n Secondly, between apart from what is contained in his written statement that he had submitted t you in advance, he has been speaking ex tempore in between which has gone into the record.

MR SPEAKER: Whatever such intervention is there, I will expunge it. I have only allowed him a written statement and I had a copy of the statement. In my judgement there was no debatable matter. Therefore, it is not open to question. If he had said anything m re than the written statement, it was not permitted and therefore it will go out of the records.

SHRI RAJ NARAIN : According to the rules of the House, a Minister can add to his statement.

MR. SPEAKER : Which rule ?. . (Interruptions)

बी राजनारायन : श्रीमन, यहां पर हम लोग जवाब देते हैं, जवाब में भगर किसी चीज की कमी रहती है तो स्टाफ के लोग यहां बैठे रहते हैं जो फीरन लिखकर भेज देते हैं कि इसके मुताबिक जवाब यह दिवा जाये और उसके मुताबिक हम पढ़ देते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप

^{*}Not recorded.

देखों तो उससे ज्यादा हुमारे पास फाइल मे सिखा हुमा है। स्टेटमेट मे जो लिखा वह धापके कमरे मे दिखा दिया भौर उसके धारिरिक्त हमने कोई बीज नहीं पढ़ी है।

इतना जरूर बताया कि "सन् 1972" इसमें लिखा हुआ है और यह बात फिर उठाई गई सन् 1976 मे, चार वर्ष बाद —यह भी इसमें लिखा हुआ है। 1976 का पीरियड एमर्जेन्सी का पीरियड धा, उस पीरियड में किस तरह से हम लोगों के रिफ्तेदारों को जो सरकार की सर्विस में थे, पीनलाइज किया गया है.. बान करते हो।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) **बोल रहे हैं।

He has used an unparliamentary w rd He was behaving like this in Rajya Sabha also. He used the words—

He is a responsible Minister and he is wrong. We are not going to tolerate this **

MR SPEAKER Place do not record anything

(Intrarruptions)%

MR. SPEAKER. I shall go through the record.. If there are any unparliamentary words from either side, I am go mg to expunge them. There is no doubt about it. I am also not allowing anything except the original statement. I have cleared the original statement. There is nothing debatable in it. Excepting that, I will not allow anything Everything else will go out of the record No further discussion is allowed.

(Interruptions)%

MR SPEAKER . Please do not record anything.

(Interruptions)%

MR SPEAKER: I am not allowing any further submissions to be made. There is no question of any point of order. In the guise of point of order, every-body wants to speak on both sides—I am not referring to one side only—more e-pecially the senior members I am not allowing any point of order.

The Home Min ter will now make a statement

SHRI VASANT SATHE (Akel) Is there any supplementary list of business? I do not find anything about the Home Minister making a statement in the list of business.

MR SPIAKER The Home Minister wrote to me this morning that he wants to make a laterment about 1) Intra cuct on of Polic Commissioner system in Delhi and (2) Publication of a photostatic copy of a MISA warrant dated 26th June 1975 1 sued by the then Deputy Commissioner of Delhi I have allowed him to make the statements

13 16 hrs.

S FATEMENT RF INTRODUCTION OF POLICE COMMISSIONER SYSTEM IN DELHI

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH)
Sir. The Police in Delhi have been governed by the provisions of the Indian Police Act of 1861, which provides for the general superintendence and control of the District Magistrate over the working of the police. The question of introducing the Police Commissioner system in Delhi has been under consideration of Government for the last 20 years ever since the Estimates Commission rade a recommendation to this effect Subsequently, the Delhi Police Commission has known as the Khosla Commission in its report submitted in 1968 also recommended the introduction of this system in Delhi

2 The idvantages and disadvantages of a change-over to the Police Commissioner system had been considered in depth from time to time. It is no doubt true that not only the quality of the personnel but also the system under which they functioned, would be decisive in determining efficiency and performance. The earlier thinking, therefore, was that the balance of advantage would be in favour of a change-over. During the Emergency, however, a decision was taken

^{**}Expunged as ordered by the Chair. %Not recorded.